वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता सेनानी 16वीं वाहिनी, (भा./र.) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर द्वारा नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल अन्तर्गत् प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार कुल 12.899 हे. राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन की मांग नवगठित 16वीं वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल, मुख्यालय की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में की गयी है।

मुख्य वन संरक्षक, कांकेर की अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार 12.899 हे. राजस्व वन भूमि की वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 29/06/2019
स्थानः अटल नगर, रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स्, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–741/ 1573 रायपुर, दिनांक 29/06/2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

विषय :– **Diversion of Forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 16th B.N. (L.R.) C.A.F. Head Quarter Establishing Area 12.899 ha. regarding**
पंजीयन कमांक– FP/ CG/ Other/34216/2018

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/मा.चि/न.क्र.39/3350 दिनांक 27.12.2018, पत्र क्रमांक/569 दिनांक 23.02.2019 एवं पत्र क्रमांक/ 1421 दिनांक 24.05.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रो द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण चेक लिस्ट अनुसार निम्नानुसार हैः

1. **आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 01)** आवेदनकर्ता सेनानी 16वीं वाहिनी, (भा./र.) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नारायणपुर द्वारा नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल अन्तर्गत् ग्राम गढ़बेंगाल के प.ह. नं. – 11 खसरा नं. –33 रकबा 8.72 हे. भूमि में से 3.530 हे., ग्राम गरांजी के प.ह.नं. –04 खसरा नं. –362 रकबा 12.84/5.195 हे. में से 5.00 हे. एवं खसरा नं. 363 रकबा 12.77/5.169 हे. भूमि में से 4.369 हे. **कुल 12.899 हे. राजस्व वन भूमि** की नवगठित 16वीं वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल, मुख्यालय हेतु "आउट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन की स्थापना हेतु मांग पत्र संलग्न है। मांग पत्र अनुसार वन भूमि की मांग न्यूनतम है। मांग पत्र वन मंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा भी हस्ताक्षरित है।

2. **प्रपत्र–I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन कमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ–02 से 09)** आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेंसिग शुल्क रू 24,000/– जमा किया गया है, जिसे कोषालय में चालान नम्बर – 13 दिनांक 24.09.2018 द्वारा पी. डी. खाता में जमा किया गया है। प्रस्ताव का **पंजीयन कमांक–** FP/ CG/ Other/ 34216/2018 है।
   इसके अलावा यूजर एजेंसी का भाग–1 एवं वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र (वन मंडलाधिकारी नारायणपुर से प्रति हस्ताक्षरित) भी लगाया गया है।

3. **वन क्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ – 10 से 17)** – 16वीं वाहिनी (भा./र.) छ.स.बल, मुख्यालय हेतु "आउट पोस्ट, ट्रेनिंग सेन्टर, स्कूल, अस्पताल, प्रशासकीय एवं आवासीय भवन की स्थापना हेतु रकबा 12.899 हे. राजस्व वन भूमि का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव पृष्ठ 11 पर कुल प्रस्तावित राजस्व वन भूमि 12.899 हे. के अंतर्गत प्रशासकीय भवन, आरमरी बिल्डिंग, आवासीय भवन, एन.जी.ओ मेस, जी.ओ.एस.मेस, क्लोदिंग स्टोर, जवान निवास बैरक एवं सुरक्षा टावर मोर्चा के लिये निर्माण कार्य में आने वाले भूमि भी हेक्टेयर में दी गई है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि 12.899 हे. में से 3.800 हे. में ही निर्माण कार्य किया जायेगा। इसके अलावा बंदोबस्त नक्शे तथा पी–2 भी लगाया गया है।

17. **वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ –77 एवं 78)** – वन मंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा जारी वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

18. **अधिनियम उल्लंघन अर्तगत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ –79)** – प्रस्तावित परियोजना हेतु आवेदित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। वन मंडलाधिकारी नारायणपुर द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

19. **अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एंव कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ –80)** – निरंक है।

20. **अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ– 81)** – उल्लंघन न होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

21. **वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ– 82)** – आवश्यकता नहीं है चूँकि दुगुने नारंगी वन क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। यूजर एजेंसी ने फिर भी गैर वन भूमि अनुपलब्धता का कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 16.05.2016 संलग्न किया गया है।

22. **कैचमेंट ट्रिटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ– 84)** – आवश्यकता नहीं है – इस आशय का संयुक्त कथन यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी नारायणपुर के द्वारा किया गया है।

23. **रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ – 85)** – माईनिंग प्रस्ताव न होने के कारण इस प्रस्ताव के लिए लागू नहीं होता है।

24. **माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ –86)** – लागू नहीं है।

25. **व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ – 87)** – आवेदित भूमि पर कोई बसाहट नहीं है, अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है – इस आशय का संयुक्त कथन यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी नारायणपुर के द्वारा किया गया है।

26. **वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ –88 से 94)** – वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वन मंडलाधिकारी अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 25.10.2018 के आधार पर प्रपत्र भाग–2 भरा है। हरियाली का घनत्व 0.6 बताया है। प्रस्तावित राजस्व वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। उन्होंने 12.899 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक कांकेर ने प्रपत्र भाग–2 पर उप वन संरक्षक के दिये गये सुझावों से सहमति व्यक्त करते हुए भाग–3 में प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की है।

27. **ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 95)** – आवेदित वन भूमि के अंतर्गत कोई भी एतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन अथवा अन्य काई निर्माण नहीं है।

28. **संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 96 से 110)** – ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल एवं ग्राम पंचायत गरांजी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

29. **जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ – 111)** – नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत कुल वन भूमि 114868.640 हे. है।

30. **व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ – 112)** – नारायणपुर वन मण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् 5 स्वीकृत प्रकरणों में रकबा 925.02 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

31. **व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ – 113)** – नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् इसी कटेगरी के कोई भी प्रकरण वन भूमि में प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है – ऐसा यूजर एजेंसी ने लेख किया है। विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 30 पर दी गई है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में संलग्न है। कृपया वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर से प्राप्त करने हेतु 3 प्रतियों में प्रस्ताव संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट
3. कलेक्टर नारायणपुर का पत्र दिनांक 18.04.2019 मय प्रमाण पत्र 3 पृष्ठीय

(प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

(अतुल कुमार शुक्ला)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

- 224 -Letter Vividh 2019 (1)